न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–10/2021 (2021/108) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–दलपतसिंह पिता भवानीसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–दिनेशसिंह पिता शिवसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–बाबुसिंह पिता भोपालसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर **मृतक के बजाय**
1/1–अशोकसिंह पिता बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2–सुनीता पिता बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3–मोरदेवी पत्नि बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्रकाशसिंह पिता मांगीलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–पारसमल पिता हीरालाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर **मृतक के बजाय**
3/1–मुकेशसिंह पिता पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/2–आशा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/3–टीना पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/4–कृष्णा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/5–पुजा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/6–निर्मला पत्नि पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–पिन्टुसिंह पिता मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–रेखा पुत्री मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–अनिता पुत्री मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. हरीश टेलर – प्रार्थी अधिवक्ता
2. पर्वत सिंह – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–01.06.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम झडोल पटवार मण्डल झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थीगण एवं हमारे अन्य भाईयों की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात संख्या 895 रकबा 0.33 हैक्ट, आराजी संख्या 896 रकबा 0.32 हैक्ट, कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हैक्ट भूमि स्थित हैं। यह उक्त वर्णित आराजियात हम प्रार्थीगण हिस्से में रखी हुई हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत [illegible] की उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम झडोल से मोखुन्दा जाने वाली आम सड़क से होकर आगे [illegible] व विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी संख्या 922 की उत्तरी पाली पर होकर आगे विपक्षीगण संख्या 02 लगायत [illegible] की खातेदारी की आराजी संख्या 897 की उत्तरी पाली पर होकर 20 फीट चौड़ाई में स्थित हैं। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण व हमारा परिवारजन वर्षों से आवागमन कर रहे हैं। कभी भी विपक्षीगण ने रोक टोक नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:53 IST
Reason: SelfAttested

की, किन्तु विपक्षीगण करीबन 4–5 माह से प्रार्थीगण को धमकी दे रहे हैं कि अब हम तुम्हारा रास्ता यहां नहीं निकलने देंगे, क्योंकि भूमि हमारे खातेदारी अधिकार की है। और उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं। इसलिये उक्त रास्ते को बन्द करेंगे तथा दिनांक 07.01.2021 को विपक्षीगण ने हम सलाह होकर प्रार्थीगण के लिये उपलब्ध एक मात्र रास्ते को छड़िया वगैरा डालकर बन्द कर दिया। जब से हम प्रार्थीगण व हमारे परिवारजन उक्त आराजियात में आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। जिससे उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में किस्म बिलानाम रास्ता दर्ज करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नही है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम झड़ौल में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 896, 895 में संज बैल बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता जो विपक्षीगण आराजी संख्या 922 व 897 की उत्तरी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे व विपक्षीगण को पांबद कराया जावे कि वे रास्ते को सदैव खुला रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया व विपक्षी संख्या 2, 4, 5, 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 7 व 8 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण स्वयं साबित करावें। उक्त आराजियात प्रार्थीगण के हिस्से में रखने की बात सर्वथा गलत अंकित कि गई है। बटवारा कब हुआ आया न्यायालय के आदेश से हुआ या पारावारिक समझौते के आधार पर हुआ बंटवारा रजिस्टर्ड था या नही सारा तथ्य अस्पष्ट है केवल मात्र सच्चाई को छिपाने व अन्य खातेदारों के हिस्से की भुमि को भी अपनी साबित करने की गरज से उक्त तथ्य अंकित किये गये है। प्रार्थीगण के आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजियात 900 की उत्तरी पाली पर आगे विपक्षीगण संख्या 2 लागायात 6 की खातेदारी आराजियात 897 की पाली पर होकर नही है। प्रार्थीगण ने इस कलम में वर्णित तथाकथिक रास्ते से कभी आवागमन नहीं किया है। प्रार्थीगण का कोई रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में नहीं हैं तो उन्हें रोकने व रोकने की धमकी देने का कोई प्रश्न नहीं है दिनांक 07.01.2021 को विपक्षीगण ने कोई रास्ता अवरुद्व नहीं किया क्योंकि मौके पर कोई रास्ता है ही नही तो उसे बन्द करने का भी कोई प्रश्न नही है अधिकाशं विपक्षीगण बाहर के प्रान्तों में धंधे के लिये रहते है प्रार्थीगण को यह भी जानकारी नहीं है कि विपक्षी बाबु सिं[illegible] चुकी है तथा विपक्षी पारस मल की मृत्यु अप्रेल 2020 में हो चुकी है तो फिर उन्होनें 07.0[illegible]021 [illegible] रास्ता केसे रोका यह तथ्य समझ के बाहर है। प्रार्थीगण के अलावा आराजी [illegible] 895 व 896 [illegible] और भी खातेदार है और आने जाने के लियें अन्य रास्ता मोजुद है इस कार[illegible] रास्ते को बिलानाम दर्ज कराने का या खुलासा करने का कोई अधिकार नही रखते है। प्राथी [illegible] आराजियात में आवागमन करने का सदेव का रास्ता उपलब्ध होकर वैकल्पिक रास्ता भी है और इसी से प्रार्थीगण आवागमन करते रहे है प्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया और वह नये सिरे से विपक्षी की आराजी में नया रास्ता कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:53 IST
Reason: SelfAttested

करना चाहते हैं प्रार्थीगण की भुमिया विपक्षीगण खरीदने के ईच्छुक नहीं है प्रार्थीगण को सदैव से रास्ता पृथक से उपलब्ध होने के कारण नये सिरे से चाहा गया रास्ता अत्यन्तिक आवश्यकता नही है केवल मात्र रंजिशवश सुविधा की दृष्टि से विपक्षीगण की आराजियात मे नये सिरे से रास्ता कायम करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया गया कि ग्राम झडोल की आराजी संख्या 895 व 896 केवल प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की न हो कर 5 खातेदारों के सामलाती भुमि है जिसमें भेम सिंह दलपत सिंह व शान्ता दिनेश सिंह सभी खातेदार है और इन खातेदारों में सभी को प्रार्थीगण या विपक्षीगण नहीं बनाया है जिससे यह प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण व अन्य खातेदारो की आराजी संख्या 895 व 896 में आवागमन हेतु कदीमी रास्ता झड़ौल से मोखुन्दा जाने वाले पुराने रास्ते संख्या 954 से होकर आगे आराजी संख्या 915 व 916 की पश्चिमी पाली पर होकर आगे आराजी संख्या 914 से होकर आराजी संख्या 899 में होते हुए आगे आराजी संख्या 895 में पहुचते है। इस प्रकार प्रार्थीगण को सदैव का कदीमी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि आराजी संख्या 895 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 896 रकबा 0.65 है0 पर वर्तमान में आवागमन का कोई रास्ता बना हुआ नही है। मौके पर उक्त नम्बरान पर आवागमन का कोई रास्ता बना हुआ नही है। वर्तमान में उक्त आराजियात पर येन केन प्रकारेण आवागमन किया जा रहा है। उपस्थित मौतबिरान के बताये अनुसार उक्त आराजियात पर राजस्व नक्शे में हरी स्याही से दर्शाये अनुसार आराजी संख्या 954 किस्म गै.मु.रास्ता से होकर खातेदारी आराजी संख्या 915 व 916 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे होकर खातेदारी आराजी संख्या 914 किस्म गै.मु.पाल पर होकर खातेदारी आराजी संख्या 899 की उत्तरी पूर्वी मेड़ो के सहारे सहारे आवागमन किया करते थे वर्तमान में आराजी संख्या 899, 914, 915 एवं 916 में कोई रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थी खातेदारान द्वारा जो रास्ता चाहा गया है जो आराजी संख्या 897 रकबा 1.41 है0 मे से 0.05 है0 सिंचित की दर 720560 प्रति है0 से 36028 रूपये बनते है जिसका दुगुना करने पर 72056 रूपये, आराजी संख्या 922 रकबा 0.52 है0 मे से 0.01 है0 असिंचित की दर 243523 रूपये प्रति है0से 2435 रूपये जिसका दुगुना करने 4870 रूपये बनती है। वर्तमान में मौके पर मौतबिरानो के अनुसार रास्ते को हरी स्याही से एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रकरण में अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थीगण की आराजी में जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते को बिलानाम सरकार दर्ज कराया जाकर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करावे।

विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि भूमि शामलाती खातेदारी है सभी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण ग्राम मोखुन्दा से झड़ौल जाने वाली सड़क से खातेदारी आराजी संख्या 915, 916, और 899 में होता हुआ अपनी भूमि पर पहुँच मार्ग है। प्रार्थीगण द्वारा जान बूझ कर विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया जो खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:53 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 895 व 896 का सहखातेदार कृषक है। प्रार्थीगण विभाजन से अपने हिस्से में भूमि आना बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिस पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है जो आपत्ति स्वीकार योग्य नही है, चूंकि भूमि से सम्बधित आपत्ति सहखातेदार ही कर सकते है विपक्षीगण का इससे कोई सम्बन्ध नही है। जहां प्रस्तावित रास्ते की भूमि को लेकर विपक्षी का कथन है कि प्रार्थीगण मोखुन्दा झड़ौल सड़क से आराजी संख्या 914, 915, 916 में होकर आराजी संख्या 899 में होता हुआ अपनी खातेदारी में जा सकता है। विपक्षीगण की आराजी में मौके पर कोई रास्ता नही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि विपक्षीगण के द्वारा जो रास्ता जवाब में दर्शाया गया है उसको हरी स्याही से एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से दर्शाते हुए ट्रेस पेश किया गया है जिसका अवलोकन किया गया, हरी स्याही से जहां लाईनिंग की गई है वहां पर भी मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त मोखुन्दा की ओर से जो रास्ता बताया जा रहा है वो काफी दुरी का होकर तालाब की पाल जो आराजी संख्या 914 बीच में आ रही है। उक्त आराजी प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में है इस आराजी में किसी प्रकार का रास्ता नही दिया जा सकता है और इसके अतिरिक्त लघुतम मार्ग नही है। प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है वो धारा 251ए की मंशा अनुसार लघुतम मार्ग है तथा कोई सुविधायुक्त मार्ग नही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि आराजी संख्या 916, 915, 914 और 899 में कोई रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थीगण अपनी आराजियात पर येन केन प्रकारेण आवागमन करते है और मौके पर कोई रेकाडेर्ड रास्ता नही होने से प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में जो रास्ता चाहा गया वो लघुतम मार्ग की श्रेणी का होकर प्रार्थीगण के हक में उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य कोई नजदीक वैकल्पिक रास्ता नही होने से चाहा गया रास्ता हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 895, 896 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 897 रकबा 1.41 है0 मे से रकबा 0.05 है0 भूमि जिसकी डीएससी दर 720560/—रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 36028/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 72056/—रूपये मुआवजा राशि बनती है एवं आराजी संख्या 922 रकबा 0.52 है0 मे से 0.01 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 243523/—रूपये प्रति हैक्टयर होने से 2435 रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 4870 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:53 IST
Reason: SelfAttested

01/06/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—10/2021 (2021/108) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—दलपतसिंह पिता भवानीसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—दिनेशसिंह पिता शिवसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बाबुसिंह पिता भोपालसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर **मृतक के बजाय**
1/1—अशोकसिंह पिता बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—सुनीता पिता बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—मोरदेवी पत्नि बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—प्रकाशसिंह पिता मांगीलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—पारसमल पिता हीरालाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर **मृतक के बजाय**
3/1—मुकेशसिंह पिता पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/2—आशा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/3—टीना पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/4—कृष्णा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/5—पुजा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/6—निर्मला पत्नि पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—पिन्टुसिंह पिता मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—रेखा पुत्री मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—अनिता पुत्री मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 895, 896 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 897 रकबा 1.41 है0 मे से रकबा 0.05 है0 भूमि जिसकी डीएससी दर 720560/—रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 36028/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 72056/—रूपये मुआवजा राशि बनती है एवं आराजी संख्या 922 रकबा 0.52 है0 मे से 0.01 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 243523/—रूपये प्रति हैक्टयर होने से 2435/—रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 4870/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रा[illegible]मि की बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:53 IST
Reason: SelfAttested

01/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–10/2021 (2021/108) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–दलपतसिंह पिता भवानीसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–दिनेशसिंह पिता शिवसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–बाबुसिंह पिता भोपालसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर **मृतक के बजाय**
1/1–अशोकसिंह पिता बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2–सुनीता पिता बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3–मोरदेवी पत्नि बाबुसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्रकाशसिंह पिता मांगीलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–पारसमल पिता हीरालाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर **मृतक के बजाय**
3/1–मुकेशसिंह पिता पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/2–आशा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/3–टीना पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/4–कृष्णा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/5–पुजा पुत्री पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/6–निर्मला पत्नि पारसमल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–पिन्टुसिंह पिता मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–रेखा पुत्री मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–अनिता पुत्री मनोहरलाल बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 895, 896 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 897 रकबा 1.41 है0 मे से रकबा 0.05 है0 भूमि जिसकी डीएससी दर 720560/–रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 36028/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 72056/–रूपये मुआवजा राशि बनती है एवं आराजी संख्या 922 रकबा 0.52 है0 मे से 0.01 है0 भूमि जिसकी डीएलसी दर 243523/–रूपये प्रति हैक्टयर होने से 2435/–रूपये भूमि कीमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 4870/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रा[illegible] भूमि की बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.07.30 11:44:53 IST
Reason: SelfAttested

01/06/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा